

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-15/औ0-14 -17/2017 स्वा0.....

/पटना, दिनांक- जून, 2018

औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा-21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रण प्रशासन में कार्यरत औषधि निरीक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ 5 में उल्लेखित स्थान/स्थानों पर कार्य करने हेतु स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन जिला	मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनोज कुमार दास	औरंगाबाद	औषधि निरीक्षक, मधुबनी अनुमंडल के मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्र	पूर्णियाँ-1-पोस्टमार्टम रोड का पश्चिम भाग, गिरजा चौक तक, गिरजा चौक से उत्तर रेलवे गुमटी तक का पूर्वी भाग	पूर्णियाँ
2.	श्री टी० पी० गुप्ता	कटिहार	कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	औषधि निरीक्षक जमुई	जमुई
3.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	गया	कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रक सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय, पटना	औषधि निरीक्षक, खगड़िया-02	खगड़िया
4.	श्री अवधेश कुमार सिंह	मुजफ्फरपुर	कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रक, शिवहर	औषधि निरीक्षक, दरभंगा, नगर निगम क्षेत्र-01 एवं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र-02	दरभंगा
5.	श्री बिरेन्द्र कुमार	नालंदा	औषधि निरीक्षक, राज्य औषधि नियंत्रक का कार्यालय, पटना	औषधि निरीक्षक, पटना-04	पटना

2. सभी अधिसूचित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अधिसूचित स्थान पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान कर मुख्यालय को अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(राम ईश्वर)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

*(Handwritten Signature)*

संख्या-15/औ0-14 -17/2017 स्वा0.....

/पटना, दिनांक- जून, 2018

प्रतिलिपि- ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या-15/औ0-14 -17/2017 स्वा0.....

/पटना, दिनांक- जून, 2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

T-15/औ0-14 -17/2017 स्वा0...5.63(15)

/पटना, दिनांक-27 जून, 2018

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सभी निदेशक प्रमुख, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/प्रभारी पदाधिकारी संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक/सभी संबंधित औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27/6/18

सरकार के संयुक्त सचिव।